भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1906

दिनांक 07 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए

यौन हिंसा के मामलों की अनिवार्य पुलिस रिपोर्टिंग

1906 श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) यौन हिंसा के मामलों की अनिवार्य पुलिस रिपोर्टिंग (एमपीआर) में गुमनाम आँकड़ों की रिपोर्टिंग के लिए तंत्र की अनुमति देने हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) देश में यौन हिंसा के पीड़ितों को पुलिस रिपोर्टिंग से पहले चिकित्सा सहायता और मनोवैज्ञानिक देखभाल दिया जाना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) देश की चिकित्सा शिक्षा और पुलिस प्रशिक्षण में यौन और लिंग आधारित हिंसा से संबंधित ज्ञान को शामिल करने और मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) देश में यौन हिंसा के मामलों की अनिवार्य पुलिस रिपोर्टिंग (एमपीआर) ने वन स्टॉप सेंटर सेवाओं के उपयोग को किस तरह प्रभावित किया है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस और लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। महिलाओं और बच्चों सहित सभी नागरिकों के विरुद्ध अपराध की जांच और अभियोजन के साथ-साथ कानून और व्यवस्था बनाए रखना, नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। राज्य सरकारें मौजूदा कानूनों के प्रावधानों के

तहत लैंगिक अपराधों सहित ऐसे सभी प्रकार के अपराधों से निपटने में सक्षम हैं। हालांकि, 16 मई, 2019 को गृह मंत्रालय ने महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न के मामलों सहित किसी संज्ञेय अपराध के मामलों में सीआरपीसी की धारा 154 की उप-धारा (1) के तहत एफआईआर या जीरो एफआईआर (यदि अपराध पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया हो) अनिवार्य रूप से दर्ज करने के संबंध में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श जारी कर सूचित किया है कि किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा इस संबंध में विफलता दंडनीय अपराध है। इसका संसद द्वारा अधिनियमित नए आपराधिक कानूनों में भी विशेष प्रावधान किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 (1) में प्रावधान है कि संज्ञेय अपराध के लिए एफआईआर किसी भी क्षेत्र के पुलिस थाने में दर्ज की जा सकती है चाहे अपराध किसी भी क्षेत्र में हुआ हो।

(ख) से (घ): स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफ एंड डब्ल्यू) ने लैंगिक हिंसा के मामलों में को देखने, कार्रवाई करने और दस्तावेज तैयार करने में निश्चित सीमा तक एकरूपता लाने के उद्देश्य से “दिशानिर्देश और प्रोटोकॉल-लैंगिक हिंसा के पीड़ितों/जीवितों की चिकित्सा कानूनी देखभाल" नामक दस्तावेज तैयार किया है। इन दिशानिर्देश और प्रोटोकॉल विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया हैं जैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञों की भूमिका, चिकित्सा जांच और रिपोर्टिंग, पीड़ितों/जीवितों के लिए मनोवैज्ञानिक-सामाजिक देखभाल, पुलिस और न्यायपालिका जैसी अन्य एजेंसियों के साथ इंटरफेस के लिए दिशानिर्देश इत्यादि। ये दिशानिर्देश देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित कर दिए हैं।

इन दिशानिर्देशों और प्रोटोकॉल को क्रियान्वित करने के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफ एंड डब्ल्यू) द्वारा डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर देश के विभिन्न क्षेत्रों/राज्यों में निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ विभिन्न कार्यशालाएं आयोजित की गईं:-

i. लैंगिक हिंसा के प्रति स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रतिक्रिया को मजबूत करने में प्रमुख चुनौतियों, बाधाओं और कमी की पहचान करना।
ii. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित राष्ट्रीय प्रोटोकॉल और दिशा-निर्देशों की समझ विकसित करना और उनके कार्यान्वयन में तेजी लाना।
iii. ऐसी विशिष्ट सेवाओं की योजना बनाने और कार्यान्वयन में राज्य क्षमता का निर्माण बढ़ाना।

iv. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लैंगिक हिंसा के पीड़ितों की आवश्यकताओं को पूरा करने की सर्वोत्तम पद्धतियों और अनुभवों का दस्तावेज तैयार करना और साझा करना।

v. इस बात पर जोर देना कि लैंगिक उत्पीड़न पीड़ितों/जीवित बचे लोगों को किसी भी अस्पताल में मुफ्त इलाज से वंचित नहीं किया जा सकता, चाहे वह सरकारी हो या निजी अस्पताल।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध तथा किशोर न्याय के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) की दूरस्थ इकाइयों द्वारा पिछले 03 वर्षों के दौरान आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और प्रतिभागियों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

पिछले 03 वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) की दूरस्थ इकाइयों द्वारा महिलाओं के विरुद्ध अपराध और किशोर न्याय पर आयोजित पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और प्रतिभागियों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**वर्ष**	**संचालित पाठ्यक्रमों की संख्या**	**प्रतिभागियों की संख्या**
1	2021-22	10	813
2	2022-23	08	181
3	2023-24	05	540
	कुल	**23**	**1534**

इसके अलावा, पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्भया कोष योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और बीपीआरएंडडी की दूरस्थ इकाइयों द्वारा महिला सुरक्षा विषय पर जांचकर्ताओं और अभियोजकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	**वर्ष**	**संचालित पाठ्यक्रमों की संख्या (के लिए)**		**प्रशिक्षित जांचकर्ताओं/अभियोजकों की संख्या**		**जांचकर्ताओं/अभियोजकों के लिए आयोजित**	**प्रशिक्षित जांचकर्ताओं / अभियोजकों की कुल संख्या**
		जांचकर्ता	**अभियोज**	**जांचकर्ता**	**अभियो**		

			क		जक	पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	
1	2021-22	238	33	6509	902	271	7411
2	2022-23	87	15	2103	288	102	2391
3	2023-24	205	22	5461	583	227	6044
	कुल	**530**	**70**	**14073**	**1773**	**600**	**15846**

सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 2015 से वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) योजना क्रियान्वित की जा रही है। इसका उद्देश्य निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित तथा संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही छत के नीचे एकीकृत सहयोग और सहायता प्रदान करना है। साथ ही जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और सलाह, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता, मनो-सामाजिक परामर्श सहित विभिन्न सेवाएं प्रदान करना है। अब तक सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 816 वन स्टॉप सेंटर स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 786 ओएससी कार्यशील हैं। इन ओएससी के माध्यम से शुरुआत से लेकर 31 मई 2024 तक 9.19 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है।

*****